P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जनपद मैनपुरी में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ

राममनोहर दीक्षित
सहायक अध्यापक,
भूगोल विभाग,
स्नात्कोत्तर महाविद्यालय
गुड़गाँव, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जनपद मैनपुरी की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कृषि के अनुकूल है, क्षेत्र की भूमि पर खाद्यान्न उगाने के साथ–साथ व्यापारिक फसलों की खेती भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, साथ ही औषधीय पौधों की कृषि की व्यापक सम्भावनाएं हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता भी है।

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु कृषि आधारित उद्योगों के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। जैसे– चावल मिलिंग, फ्लोर मिलिंग, दाल मिलिंग, शीतगृह, ईंट एवं टाइल्स, मिट्टी के बर्तन, दुग्ध उद्योग, लोहारगिरी का कार्य, गारलिक ऑयल उद्योग, मूँगफली का तेल आदि।

शोधार्थी का मानना है कि क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों का विकास कर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। क्षेत्र की आर्थिक गति को मजबूती मिल सकती है। अतः क्षेत्र की औद्योगिक गति प्रदान करने के लिए छोटे–छोटे उद्योग भी स्थापित किये जा सकते हैं–

1. प्लास्टिक की वस्तुएँ, 2. लैदर के हैण्ड पाउच बनाना, 3. कृषि उपकरण, 4. कोइन पर्स, 5. चश्मे के लैन्स, 6. कंकरीट जाली, 7. शॉपिंग बैग, 8. लेडीज सैण्डल, 9. डेरी फार्म भैंस एवं गाय पालन, 10. गत्ते के बॉक्सेज बनाना, 11. लैदर जैकेट, 12. जेन्ट्स चप्पल, 13. चीनी–मिट्टी के बर्तन, 14. कामगारों के हाथ के दस्ताने, 15. स्पोर्टस शूज, 16. प्लास्टिक कंटेनर, 17. लघु बेकरी, 18. प्लास्टिक के फाइल कवर, 19. स्कूल बैग, 20. पापड़ बनाना, 21. सर्जिकल बैंडेज, 22. प्लास्टिक के क्लिप।

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र, विकास स्तर।

प्रस्तावना

जनपद मैनपुरी की 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्यों से जीवन निर्वाह करती है। कृषि कार्य सम्पूर्ण वर्ष भर नहीं चलता, कृषक का पर्याप्त समय व्यर्थ में चला जाता है। अतः कृषक को बेकारी की समस्या से बचाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास करके उसके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र

मैनपुरी जनपद आगरा मण्डल का दक्षिणी–पूर्वी जनपद है, जो $26^0$56′ से $27^0$28′ उत्तरी अक्षांशों एवं $78^0$42′ से $79^0$26′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य विस्तृत है। इस जनपद की उत्तरी सीमा पर एटा जनपद पूर्वी सीमा पर फर्रुखाबाद जनपद, दक्षिणी सीमा पर इटावा जनपद तथा पश्चिमी सीमा की ओर फिरोजाबाद जनपद स्थित है। जनपद का क्षेत्रफल 2747.53 वर्ग किमी है, जो पूरे उ0प्र0 का 0.93 प्रतिशत है। (मानचित्र–1)

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जनपद मैनपुरी विविध उद्योगों के वर्तमान स्वरूप का वर्णन कर उनकी स्थिति का आँकलन करना, साथी साथ भावी उद्योगों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है, ताकि जनपद में सन्तुलित विकास की आधारशिला रखी जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का सहारा लिया गया साथ ही साथ अवलोकनात्मक विधि का भी प्रयोग किया गया है।

किसी भी क्षेत्र का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक कि उद्योगों का विकास संतुलित आधार पर नहीं हो जाता है जनपद मैनपुरी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है वह क्षेत्र की विशाल जनसंख्या को देखते हुए किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

जनपद में औद्योगीकरण की दशा एवं स्थिति अच्छी नहीं है। औद्योगिक अवरुद्धता मुख्यतः सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक– तत्वों के कारण होती है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सामाजिक कुरीतियाँ व धार्मिक अंध विश्वास समाज के विकास के प्रति उदासीनता लाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में बाजारों का विकास किया जाना चाहिए। जनपद में तकनीकी शिक्षा का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा एवं राजनैतिक इच्छा शक्ति को भी बढ़ाना होगा।

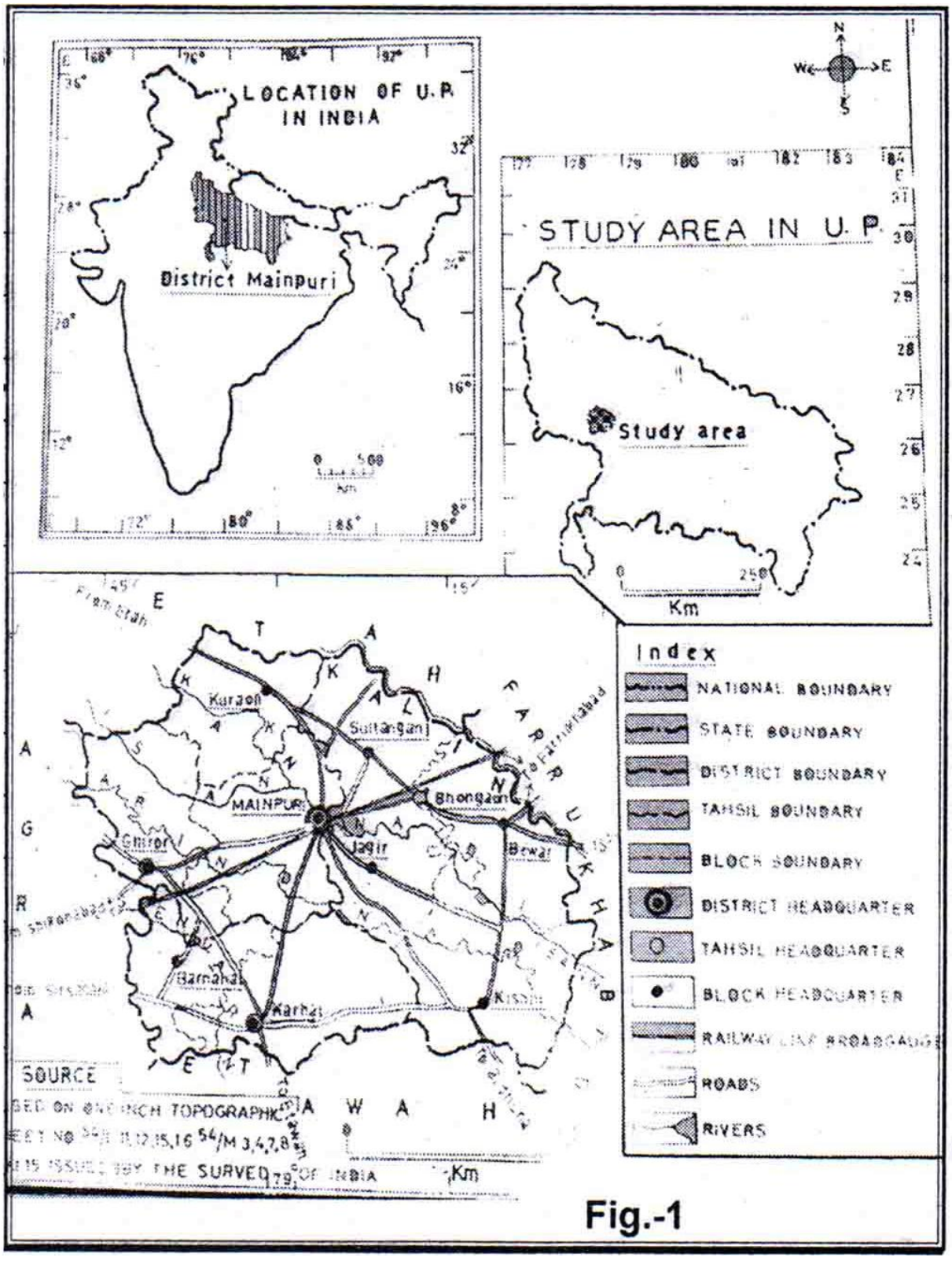

Fig.-1

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

चित्र संख्या 2

मैनपुरी में औद्योगीकरण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जनपद मैनपुरी को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की श्रेणी में रखा गया है। जनपद के उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा तीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये हैं–

1. भोगांव–मैनपुरी मार्ग पर रुई–सिनौरा
2. ज्योंती रोड– धारऊ मैनपुरी
3. जी0टी0 रोड, मल्लामई बेवर

अध्ययन क्षेत्र में कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 57 कारखाने स्थापित हैं एवं 563 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। जनपद में पूर्व से ही बड़े–बड़े उद्योगों का अभाव रहा है और वर्तमान में कोई भी वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित नहीं है, अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रूप से फ्लोर मिल, आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, राइस मिल, बेकरी उद्योग, खाद्य उद्योग, साबुन उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, कत्था उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, आतिशबाजी बनाने वाली इकाइयाँ, चमड़े के जूते–चप्पल।

तालिका–1 : जनपद मैनपुरी – लघु औद्योगिक इकाइयाँ

क्र0सं0	विकासखण्ड	इकाइयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति
1.	घिरोर	211	725
2.	कुरावली	458	1573
3.	मैनपुरी	932	3176
4.	बरनाहल	147	513

5.	करहल	310	1065
6.	सुल्तानगंज	156	533
7.	बेवर	616	2108
8.	जागीर	91	407
9.	किशनी	157	508
योग जनपद		**3078**	**10628**

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका, मैनपुरी।

माँग आधारित उद्योगों की सम्भावनायें

जनपद में कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर बहुत से उद्योगों की सम्भावनायें हैं। यद्यपि क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध न होने पर भी उपभोक्ताओं की माँग, बाजार उपलब्धता तथा यातायात मार्गों के उचित विकास आदि कारणों से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। समस्त माँग आधारित उद्योग विकास केन्द्रों पर स्थापित किये जाये क्योंकि इन केन्द्रों से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। अतः उद्योगों का संकेन्द्रण विकास केन्द्रों पर होना चाहिए।

खेती के बदलते स्वरूप परम्परागत फसलों पर निर्भरता के जोखिम एवं निवेशों को बढ़ती लागत तथा फसल उत्पादकों के लिए आर्थिक लाभ की सम्भावनायें ढूँढ़ने हेतु विविधीकृत कृषि पर अधिक बल देना स्वाभाविक हो गया है। जेट्रोफा (रतन जोत), मशरूम, स्टीविया, सफेद मूसली, ज्वारपाठा (घृत कुमारी), सहिजन सागौन आदि औषधीय पौधों तथा फूलों में गेंदा, गुलाब, बेला, रात की रानी आदि तथा फलों में आँवला, आम, अमरूद, पपीता आदि की खेती तो किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

शोधार्थी का यह सुझाव है कि प्रत्येक विकास केन्द्र पर व्यक्तियों की माँग पर आधारित केन्द्र खोला जाना चाहिए, जैसे कि कृषि यंत्र, बिजली का सामान, बैकरी, टैलरिंग, जरी, लेदर का सामान, बढ़ईगीरी और तेल आदि। इस तरह के उद्योग विकास केन्द्रों पर स्थापित किये जाने चाहिए। माँग आधारित उद्योगों की सूची निम्नवत् है–

1. कृषि यंत्र (हल, हैरो आदि)
2. पम्प (डीजल आदि)
3. गेहूँ का आटा
4. तेल घानी
5. गुड़ एवं खण्डसारी
6. तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट
7. जूते तथा चमड़े का सामान
8. कागज, पेंसिल आदि
9. बैलगाड़ी
10. ईंट, टाइल्स तथा पत्थर
11. खादी के कपड़े
12. कम्बल
13. साबुन
14. फल उद्यान
15. टोकरियाँ
16. खाद एवं बीज

माँग आधारित अन्य उद्योगों की सम्भावनायें

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इस उद्योग के विकास में निम्न कारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान है–

1. भारतीय परिवारों में भोजन व्यय राष्ट्रीय व्यय अनुपात की तुलना में एक अंश मात्र ही है।
2. आय की लोचकता के कारण खाद्य पदार्थ की माँग अधिक है, आय का अधिकांश हिस्सा खाद्य पदार्थों में ही व्यय होता है।
3. बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण खाद्य पदार्थों का सुविधाजनक होने के कारण इनकी माँग निश्चित रूप से बढ़ रही है।

गाँव में उत्पादित खाद्य पदार्थों की माँग शहरों तथा बाजारों में बढ़ी है। बेकरी के उत्पाद, डेरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों, मछली तथा माँस आदि उद्योग गाँव में ही लगाये जाने वाले उद्योग हैं। अतः इन्हें ग्रामीण उद्योग कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा।

ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना से आज भी कोसों दूर हैं। गाँव में रहने वाली जनसंख्या पोषण सम्बन्धी जानकारी भी नहीं रखती है। इसलिए यहाँ रहने वाली जनसंख्या का स्वास्थ्य भी निम्न स्तर का है। इसलिए जरूरी हो जाता है गाँव में भी नवीन वैज्ञानिक विधियाँ अपनाकर ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाया जाये इनमें फसल संरक्षण तथा दुग्ध उद्योग महती भूमिका अदा कर सकते हैं।

उपयुक्त सरकारी नीतियाँ

सरकार को चाहिए कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए वह आर्थिक एवं औद्योगिक नीति को बहुत ही संतुलित ढंग से तैयार करे, जिससे कि उद्योगों के विकास एवं विस्तार को निरन्तर बल मिलता रहे। नीति का आधार निम्नलिखित मॉडल है–

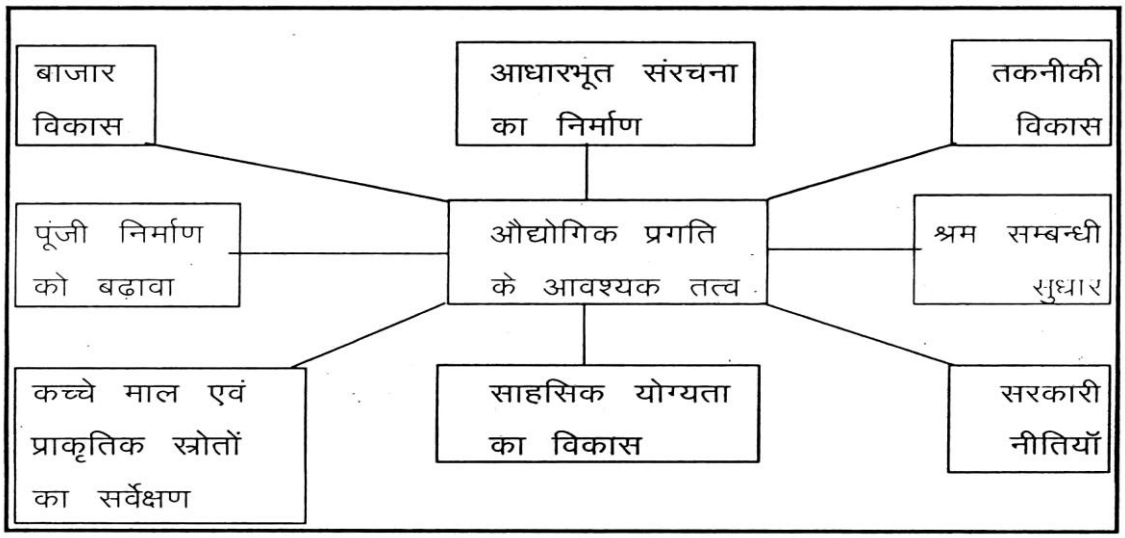

व्यक्तिगत इकाई प्रारूप के अन्तर्गत ऊर्जा प्राप्ति हेतु बायोगैस व हाइसिन्थ गैस संयंत्र सम्मिलित है। औद्योगिक समूह प्रारूप में गन्ने से प्राप्त खोई, चावल मिल व इनसे उपलब्ध अवशेषों पर आधारित कागज व लुग्दी उद्योग, ऊर्जा, फर्मास्यूटिकल्स व रसायन खाद व चारा उद्योग आदि सम्मिलित हैं। जनपद में उपलब्ध अवशेषों का प्रवृत्ति एवं लक्षणों के आधार पर स्थानीय उपलब्धता समूहों की स्थापना कर जनपद के आर्थिक स्तर को नया रूप दिया जा सकता है। औद्योगिक समूहों का संयुक्तीकरण मुख्यतः गन्ना, मक्का, धान, फलों, सब्जियाँ एवं उनके अवशेषों पर आधारित हो सकता है।

जनपद में उपलब्ध कृषिगत उत्पादों व अवशेषों के विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निम्न उद्योग स्थापित हो सकते हैं–

तालिका–2 : मैनपुरी जनपद में निरर्थक पदार्थों पर आधारित उद्योगों की सम्भावनायें

क्र0सं0	उपलब्ध अवशेष	प्रस्तावित निर्माण इकाई
1.	भूसी	भूसी सीमेण्ट, भूसी ऊर्जा
2.	शीरा	अल्कोहल
3.	ठेंठा	कागज दफ्ती
4.	जलकुम्भी	ऊर्जा, उर्वरक, कागज दफ्ती, कम्पोस्ट
5.	गोबर	ऊर्जा
6.	कना	कना तेल

जनपद मैनपुरी में निम्नलिखित उद्योगों की सम्भावनायें प्रबल हैं–

चावल मिलिंग

अध्ययन क्षेत्र में चावल मिलिंग का संकेन्द्रण केवल मैनपुरी शहर में है। जबकि जनपद में उत्पादन को देखते हुए क्षेत्र में कुरावली, बरनाहल, करहल, किशनी, कुसमरा, जागीर, बेवर स्थानों पर भी चावल मिलिंग के कारखाने लगाना लाभकारी साबित होंगे, क्योंकि इन विकासखण्डों में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए परिवहन लागत कम होने से आय में वृद्धि होगी। (मानचित्र–2)

फ्लोर मिलिंग

मैनपुरी जनपद पूर्णतः मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जनपद में गेहूँ प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि क्षेत्र में मैदा उद्योग का विकास हो जनपद में मैनपुरी शहर में ही अब तक आटा मिलों का विकास हुआ है, जबकि जनपद के अन्य शहरों भोगांव एवं बेवर में भी मैदा उद्योग विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि उद्योग का विकेन्द्रीकरण होने से कामगारों को राहत मिलेगी।

दाल मिलिंग

वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र में दो दाल मिलें हैं जिनमें से एक में उत्पादन बन्द है तथा दूसरे में उत्पादन भी संतोषजनक नहीं है। अतः क्षेत्र में दलहन विकास के साथ–साथ दाल मिलिंग के कारखाने मैनपुरी एवं भोगांव में भी स्थापित किये जाने चाहिए।

चूड़ी उद्योग

जनपद फिरोजाबाद का प्रमुख उद्योग चूड़ी उद्योग है, जिसे विकेन्द्रित करके मैनपुरी जनपद में भी चूड़ी उद्योग है, जिसे विकेन्द्रित करके मैनपुरी जनपद में भी चूड़ी उद्योग की कुछ इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। भोगांव के औद्योगिक क्षेत्र में तथा औद्योगिक आस्थान धारऊ में चूड़ी उद्योगों को लगाया जाना चाहिए। क्योंकि इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हुआ। चूड़ी उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे जनपद के निवासियों की आय में वृद्धि होगी।

शीत गृह

मैनपुरी जनपद में 24 शीत गृह हैं। जनपद के दो विकासखण्ड (जागीर तथा किशनी) ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शीतगृह स्थापित नहीं किया गया है। अतः जागीर विकासखण्ड एवं किशनी विकासखण्ड में अविलम्ब शीतगृहों की स्थापना की जानी चाहिए।

ईंट एवं टाइल्स

अध्ययन क्षेत्र में लगभग 80 ईंट भट्टे स्थापित हैं, जो पर्याप्त हैं अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग मैदानी है, अतः टाइल्स का उत्पादन सम्भव नहीं है।

फल संरक्षण

अध्ययन क्षेत्र में वनों और बागों की उपस्थिति न्यून है। क्षेत्र के विकासखण्ड बेबर, किशनी तथा घिरोर में फल संरक्षण का विकास किया जा सकता है।

मिट्टी के बर्तन

अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख संसाधन मिट्टी है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण जिले के सभी भागों में मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का उद्योग अधिक विकसित हो सकता है।

बढ़ईगीरी

अध्ययन क्षेत्र में यह व्यवसाय बहुत पुराना है। वनों की न्यूवता ने इस उद्योग पर काफी प्रभाव डाला है लेकिन क्षेत्र में यह उद्योग सर्वत्र विकसित किया जा सकता है। साथ ही वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुरावली, अकबरपुर, मैनपुरी, अलीपुर, खेड़ा, भोगांव, बेवर आदि स्थानों पर वन सम्बर्द्धन हो सकता है।

हथकरघा उद्योग एवं खादी

हथकरघा उद्योग एवं खादी का महत्व वर्तमान में और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस उद्योग में रोजगार की अपार सम्भावनाएं निहित हैं। अध्ययन क्षेत्र में बेवर, नवीगंज, करहल, कुर्रा जिरावन, भोगांव, जागीर, किशनी एवं कुसमरा आदि स्थानों पर इस उद्योग का विकास किया जाना चाहिए।

दुग्ध उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय की अपार सम्भावनायें हैं क्योंकि यहाँ पशुपालन का स्तर ऊँचा है। जनपद में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कार्यरत है। संघ के माध्यम से ऋण वितरण तथा पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाने जाने चाहिए। वर्ष 2004–05 में 38106 कुन्तल दुग्ध का उत्पादन हुआ जो संतोषजनक नहीं है। डेयरी उद्योग को सम्पूर्ण जनपद में विकसित किये जाने की सम्भावना है।

चमड़ा आधारित उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में चमड़ा रंगाई एवं चमड़े से निर्मित वस्तुओं के छोटे–छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं क्योंकि इसके लिये कच्चे माल की आपूर्ति कानपुर महानगर तथा आगरा महानगर से हो सकती है। बेवर, भोगांव, कुसमरा, कुरावली, मैनपुरी, करहल, घिरोर आदि स्थानों पर इस उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए।

लोहारगीरी का कार्य

लोहा तथा लोहे से निर्मित वस्तुएं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अतः क्षेत्र में कृषि यंत्र निर्माण तथा कृषकों की जरूरत के छोटे–छोटे यंत्र निर्माण कार्य तो प्रत्येक कस्बे एवं गाँव में भी होना चाहिए। कुरावली, घिरोर, मैनपुरी, बेवर, किशनी आदि शहरों में लोहागीरी का कार्य बड़े पैमाने पर जैसे– फाटक, ग्रिल, ट्राली, थ्रेशर आदि किया जाना चाहिए।

आभूषण

सामान्यतः आभूषण निर्माण कार्य प्रत्येक शहर में होता है। अतः वर्तमान लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उसके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए।

गारलिक ऑयल उद्योग

क्षेत्र में लहसुन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। क्षेत्र में लहसुन की तीन बड़ी मण्डियाँ भोगांव, कुरावली तथा घिरोर हैं। अतः क्षेत्र में लहसुन पाउडर तथा तेल उद्योग के विकसित होने की सम्भावनायें हैं। औद्योगिक क्षेत्र भोगांव में एक उद्योग 'टैंकमैन गारलिक्स प्रा0 लि0' स्थापित भी हुआ है, जो उद्योगपति की मृत्यु होने के कारण सफल नहीं हो सका। अध्ययन क्षेत्र में भोगांव, कुरावली तथा घिरोर में गारलिक्स ऑयल उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए।

जरी उद्योग

वर्तमान जरी उद्योग एक सफलतम उद्योग है। किशनी, बरनाहल, करहल, कोसमा मुसलमीन, भोगांव आदि स्थानों पर इस उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है।

रसायन उद्योग

रसायन उद्योग मुख्य रूप से भोगांव, मैनपुरी, कुरावली, घिरोर, कोसमा, कुसमरा, बेवर में स्थापित किया जाना चाहिए।

मूँगफली का तेल

अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान समय में मूँगफली का उत्पादन बढ़ रहा है। इसे देखते हुए भोगांव, मैनपुरी, किशनी, कुरावली आदि स्थानों मूंगफली का तेल निकालने का उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि इन विकासखण्डों में मूँगफली का उत्पादन बढ़ रहा है।

समस्यायें एवं समाधान

1. पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाते हुए ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों का पूर्ण उत्तरदायित्त्व उन्हें सौंपना चाहिए। योजनाओं को व्यक्तियों को ऊपर थोपने के स्थान पर आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं का चयन उनमें लाभार्थियों के चयन से लेकर गाँवों में जन सुविधाओं के विस्तार और अनुरक्षण आदि सभी कुछ पंचायतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
2. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने हेतु समाज के सभी वर्गों में कठोर कदम उठाने चाहिए।
3. रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन, गरीबी निवारण तथा गाँवों में जन–सुविधाओं के विकास हेतु चलाए जा रहे अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों के स्थान पर इनकी संख्या घटाकर अध्ययन क्षेत्र के अनुकूल कार्यक्रमों को चलाना चाहिए।
4. आज हमारे गाँवों में खेती से जुड़े किसान अब खेती नहीं करते, बल्कि वे खेतिहर मजदूर का काम करने को विवश हैं। गाँवों में रोजगार न मिलने के कारण ग्रामीण युवकों के गाँवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने हेतु गाँवों में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।
5. निर्धनता निवारण की योजनाओं में सस्ता ऋण, अनुदान तथा सब्सिडी की प्रथा को हटाते हुए ग्रामीणों में स्वरोजगार तथा स्वप्रयास को बढ़ावा देने

के लिए आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे गरीब लोग सरकारी वैशाखियों के सहारे चलने के स्थान पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अग्रसर हो सकें।

6. ग्रामीण क्षेत्र में श्रम प्रधान लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर वहाँ के मूल उत्पादों में अभिवृद्धि (वैल्यू एडीशन) करना सम्भव हो पायेगा और इससे गाँवों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे– प्रत्येक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना, उपयुक्त विद्युत व्यवस्था, उपयुक्त संचार, पेयजल की समुचित उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, उपयुक्त बाजार की व्यवस्था आदि को पुनः आकलित करना होगा और वर्तमान आधारभूत ढाँच में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाकर उस पर समयबद्ध तरीके से अमल करना निश्चित किया जाना चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर, तकनीकी प्रदर्शन, वैज्ञानिक खेल आदि आयोजित किये जाने चाहिए।
9. ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता और बेरोजगारी व निर्धारित अवधि में उन्मूलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करके सम्पन्नता और खुशहाली लाने के उद्देश्य से पहली अप्रैल 1999 से एक बहुद्देश्यीय तथा बहुआयामी योजना स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (एस0जे0एस0वाई0) के नाम से प्रारम्भ की गई, जो उद्देश्य के अनुरूप सफल नहीं रही। सरकार को चाहिए कि वह एस0जे0एस0वाई0 योजना को पंचायतों के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करें तो सार्थक परिणाम सामने आयेंगे।
10. भूमि की कम उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सघन खेती एवं मिश्रित खेती को प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया है। उत्तम बीज, कृषि यंत्रों का उपयोग, खाद–उर्वरक तथा सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से सघन तथा मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
11. लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से देश में औद्योगीकरण को बल मिलेगा तथा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होने से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों– जैसे साबुन बनाना, डिटर्जेन्ट, शैम्पू, चाक बनाना, सिलाई–कढ़ाई प्रिंटिंग, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण की जाँच एवं सुधार, फर्नीचर, बर्तन बनाना, साइकिल एवं मशीनों के पार्ट्स वर्कशाप तथा कम्प्यूटर आदि से सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
12. सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण लोगों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए विपणन की सुविधा उपलब्ध कराये जिससे किसानों को बिचौलिये व मुनाफाखोरों से छुटकारा मिल सके।
13. आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ–साथ तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाय ताकि कोई भी युवा शिक्षा पूरी करने के बाद स्वावलम्बी बन सके।
14. निर्धनता का अधिक प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। अतः कृषि विकास हेतु कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, कृषि आधारित अन्य उद्योगों का विकास व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
15. निर्धनता बेरोजगारी का पर्याय होती है, ऐसी स्थिति में निर्धनता निवारण हेतु यह आवश्यक है कि श्रम प्रधान उत्पादन की तकनीक स्वीकार की जाए, जिससे रोजगार के अवसरों में अपेक्षित वृद्धि लाना सम्भव हो सके।
16. देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के लिए ग्रामीण बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। बैंकों में आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण के कारण अतिरिक्त मानव शक्ति का प्रयोग अतिरिक्त शाखाओं का विस्तार कर और ऋण वसूली के लिए किया जाना चाहिए।
17. भारतीय संस्कृति तथा ग्रामीण संसाधनों के साथ ग्रामीण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को समेकित करना अति महत्त्वपूर्ण है। ग्रामीण आधार वाले उद्योगों के लिए परियोजनायें ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के साथ–साथ लोगों, समाज और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Memoria, C.B. & Tripathi, B.B. (1991) Agricultural Problems of India, Kitab Mahal, Allahabad.

The Research Strategy, जनपद हाथरस में जैविक संसाधन आधारित औद्योगिक भू–दृश्य : एक भौगोलिक अध्ययन, Vol. 5, 2015, Kanpur (U.P.)

माथुर, वी0 एवं नारायण, महेश (1991) संसाधन भूगोल, प्रथम संस्करण, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।

सामाजिक आर्थिक समीक्षा, जनपद मैनपुरी, 2018.

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, मैनपुरी, 2018.